राजस्थान सरकार
कार्यालय ए0सी0पी0 (एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर) उपनिदेशक
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, अलवर
कमरा नं0 23, जिला कलेक्ट्रेट परिसर, अलवर– 301001 (राज.)

क्रमांकः–सू0प्रौ0वि0 / 2017 / 1086 दिनांकः– 01-11-2017

स्थानीय सेवा प्रदाता समस्त
अलवर।

विषय–अलवर कलैक्ट्रेट परिसर मे ईमित्र संचालन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अलवर कलैक्ट्रेट मे एक ईमित्र का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। ईमित्र संचालन हेतु नियम व शर्ते पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आप किसी एक ईमित्र, जो कि उक्त नियम व शर्तो के अधीन कार्य करना चाहता है, उसकी सूचना आप आगामी 3 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायें। ईमित्र का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। लॉटरी की सूचना आपकों पृथक रूप से भेज दी जायेगी।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

एसीपी(उपनिदेशक)
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
कलैक्ट्रेट, अलवर

क्रमांकः–सू0प्रौ0वि0 / 2017 / दिनांकः–

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. श्री आर. के. शर्मा संयुक्त निदेशक, सू0प्रौ0वि0, जयपुर।
3. कार्यालय प्रति।

एसीपी(उपनिदेशक)
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
कलैक्ट्रेट, अलवर

Landline: 0144-2702051 **IP Phone**: 33010 / 28211 **Email**: dlo.doit.alwar@rajasthan.gov.in

अनुबंध पत्र

1. अनुबंध एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा एवं सेवायें संतोषजनक होने की स्थिति में जिला कलक्टर महोदय की अनुमति से आगे बढाया जा सकेगा।

2. ईमित्र संचालक कम से कम 6 माह (लाइसेंस संलग्न करे)से सेवारत हो।

3. ईमित्र संचालक के पास डेस्कटॉप/लेपटॉप मय प्रिन्टर, स्कैनर, सिंगल फिंगर बायोमैट्रिक मशीन (Model-Morpho), वेब कैमरा, माइक, स्पीकर एवं इन्टरनेट कनेक्टीविटी उपलब्ध होना आवश्यक है।

4. आवेदनकर्ता ईमित्र संचालक के पास, आधार मशीन (स्वयं की अथवा RISL द्वारा प्रदत्त) होनी चाहिये।

5. चयनित ई–मित्र संचालक बिल जमा, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र एवं परियोजना द्वारा संचालित/संबंधित अन्य सभी सेवाऐं इसी स्थान पर उपलब्ध करायेंगे एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सूची एवं दर के अनुसार ईमित्र परियोजना के अन्य नियम/शर्तों से बाध्य रहेंगे।

6. परिसर में संचालित कियोस्क के लिए उपयुक्त सभी उपकरण, फर्नीचर इत्यादि संचालक के स्तर पर होगें।

7. कलैक्ट्रेट कार्यालय के अवकाश के दिन, परिसर में संचालित कियोस्क के खुलने एवं बंद होने का समय ईमित्र परियोजना एवं अन्य ईमित्रों की भांति रहेगा।

8. ईमित्र संचालक की सेवायें संतोषजनक न होने पर अथवा शिकायत प्राप्त होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के कलैक्ट्रेट परिसर से हटाया जा सकेगा।

9. ईमित्र संचालक समय–समय पर विभाग द्वारा जारी आदेशों की पालना करने हेतु बाध्य होगा एवं कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक) सू.प्रौ.वि. के प्रति जवावदेही हेतु उत्तरदायी होगा।

10. प्रारम्भ मे कलैक्ट्रेट परिसर मे ईमित्र की स्थापना हेतु विभाग द्वारा एक कक्ष, एक पंखा, एक ट्यूबलाइट, एक टेबल, एक बैंच एवं आरस्वान कनेक्टिविटी दी जायेगी। अन्य आवश्यक सुविधा ईमित्र संचालक स्वयं अपने स्तर से करे।

Charu Agarwal